न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 78/2018 (225 आरटीए) रामेश्वरसिंह वगै. बनाम मुख्य अभियंता पीएचईडी जोधपुर वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00141)

1 रामेश्वरसिंह पुत्र स्व. श्री नत्थू जी,
2 साहिबराम पुत्र स्व. श्री नत्थू जी,
3 श्रीमती भंवरी पत्नी स्व. श्री शिव जी,
4 जयसिंह पुत्र स्व. श्री शिव जी,
5 शंकरसिंह पुत्र स्व. श्री शिव जी,
6 ज्ञानेश्वर पुत्र स्व. श्री शिव जी,
7 नेमीचंद पुत्र स्व. श्री शिव जी,
8 श्रीमती गोमती पुत्री स्व. श्री शिव जी,
9 श्रीमती हीरादेवी पुत्री स्व. श्री शिव जी,
10 पन्नेसिंह पुत्र श्री नामालूम,
11 सीमा पुत्री श्री पन्नेसिंह,
12 बबली पत्री श्री पन्नेसिंह जी,
13 सोनू पुत्री श्री पन्नेसिंह जी,
14 जीतमल पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जी,
15 ब्रह्मसिंह पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जी,
16 चन्द्रकला पुत्री स्व. श्री मोहनलाल जी,

सभी जातियान माली निवासीगण सिमरथ वाला बेरा मण्डोर जोधपुर (राज.)

..... अपीलांट्स

बनाम

1 मुख्य अभियंता, जोधपुर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जोधपुर,। श्रीमान
2 अधीक्षण अभियंता, जोधपुर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शहर वृत, जोधपुर।
3 अधिशाषी अभियंता, जोधपुर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला खण्ड प्रथम जोधपुर।
4 राजस्थान राज्य जरिए जिला कलेक्टर, जोधपुर।
5 तहसीलदार जोधपुर।
6 अशोक गहलोत, ठेकेदार, मुख्य अभियंता, जोधपुर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

24/6
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 18.05.2018 अंतर्गत राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 45/2015

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चंन्द्र पीतावत।
2 रेस्पो. सं. 1 से 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
3 रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र दाधीच।

निर्णय

दिनांक : 26.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 45/2015 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद दिलाए जाने कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा धारा, 183, 188 के तहत प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु भी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए दौराने सुनवाई मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की। प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 02.06.2015 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए रेस्पो. अप्रार्थीगण को पाबंद किया कि मौजा मंडोर प्रथम में खसरा नं. 1695 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.10.2016 को प्रार्थीगण/अपीलांट के दस्तावेज तलब करवाए जाने के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने के अतिरिक्त पूर्ण रूप से मनमाने एवं गैर कानूनी तरीके प्रार्थीगण को सुनवाई का किसी भी प्रकार का अवसर दिए बिना ही एक तरफा तरीके से आदेश पारित करते हुए पूर्व में दिनांक 02.06.2015 को पारित किया गया अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अप्रभावी यानी वैकेट कर दिया जबकि दिनांक 07.10.2016 को अथवा उसके पूर्व रेस्पो./अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वैकेट किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर पूर्व में

26/6
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को वैकेट कर दिया जिसके विरुद्ध प्रार्थी अपीलांट द्वारा एक अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 25.01.2017 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निस्तारित की गई जिसके विरुद्ध अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में एवं तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटीशन के जरिए चुनौती दी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी रखने का आदेश पारित करते हुए एक सप्ताह में प्रार्थीगण अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णय करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के लिए पारित किया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित किए गए आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018 के जरिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चंन्द्र पीतावत ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1695 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा ग्राम मण्डोर प्रथम अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर जन स्वा. अभि. विभाग वाद पत्र के संलग्न नक्शे के अनुसार करीब 196 वर्गगज जमीन पानी की टंकी के लिए एवं 65 वर्गगज जमीन पानी के हौद के लिए तथा 20 वर्गगज जमीन पानी की छोटी होदियों के लिए रेस्पो. सं. 1 से 3 के द्वारा बिना किसी अवाप्ति की कार्यवाही के उपयोग की जा रही थी। उक्त पानी की टंकी काफी पुरानी होने के कारण जर्जर अवस्था में भी हो गई थी तथा पिछले कई वर्षों से पानी के स्टोरेज व सप्लाई के लिए काम नहीं ली जा रही थी। तथा अनुपयोगी हो रखी थी। रेस्पो. सं. 1 से 3 के द्वारा अपीलांट की खातेदारी की भूमि में उपरोक्त हिस्से को बिना अपीलांट की सहमति से बना दिया गया था एवं उपयोग लिया जा रहा था। उक्त पानी की टंकी आस–पास के क्षेत्रवासियों के पीने के उपयोग के लिए आ रही थी इस कारण अपीलांट को अपने काश्तकारी का नुकसान होने के बाबजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

सहन किया परंतु पानी की टंकी व पानी के हौद को हमेशा के लिए कायम रखे जाने बाबत कोई सहमति अथवा अनुमति रेस्पो. सं. 1 से 3 को नहीं दी न ही रेस्सपो. सं. 1 से 3 द्वारा इस संबंध में कोई अनुमति ही अपीलांट से ली गई। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजी में से नाजायज कब्जे को हटाने के लिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में कब्जा दिलाने बाबत वाद प्रस्तुत कर रखा है। परंतु रेस्पो. सं. 1 से 3 ने अपीलांट प्रार्थीगण की भूमि पर बनी हुई जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को हटाने के पश्चात अपीलांट प्रार्थीगण की खातेदारी के उक्त खसरा नं. 1695 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा की भूमि में से और अधिक भूमि उपयोग में लेना तय करते हुए नई पानी की टंकी व पानी का नया हौद बनाने की कार्यवाही कर दी है। तथा इस संबंध में टेण्डर भी निकाल दिया। अपीलांट के वाद के विचाराधीन रहने के दौरान जबरन पानी की नई टंकी व पानी का हौद अपीलांट प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के काफी बड़े हिस्से को जबरन उपयोग में लेते हुए बनाना शुरू कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रार्थीगण का वाद खातेदारी की भूमि का कब्जा दिलाए जाने का होने के बावजूद रेस्पो. सं. 1 से 3 को निर्माण करने की अनुमति अपीलाधीन आदेश के जरिए देदी है जो कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु होते हुए भी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पर खारिज कर देने से रेस्पो. द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे मौके की स्थिति बदल दी जावेगी। अपीलांट्स को इससे अपूर्णीय क्षति होगी। मौके पर निर्माण कार्य किए जाने से अनावश्यक रूप से वाद की बाहुल्यता को बढ़ावा मिलेगा। विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पाडेंट्स द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य को रोका जाना आवश्यक है। अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पो. अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि अपीलांट प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1695 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मंडोर प्रथम तहसील जोधपुर में किसी भी हिस्से पर कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य के जरिए करवावें साथ ही अपीलांट प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग में कोई बाधा अड़चन न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य के जरिए करवावें। अपीलांट प्रार्थीगण को बेदखल न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य के जरिए करवावें तथा रेस्पो. को पाबंद किया जावे कि मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

5 रेस्पो. सं. 1 से 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी, ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने टंकी निर्माण के लिए 40 साल पहले जमीन उपलब्ध करवाई थी तब से विभाग इस भूमि का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। जिसके चारों तरफ पी.डब्लू.डी. ने चार दीवारी बनवा रखी है। अपीलांट ने 40 साल से कोई एतराज नहीं किया। वादग्रस्त खसरा नंबरान का नक्शा ट्रेस भी उपलब्ध नहीं हैं, जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वह पूरी जमीन अपीलांट की नहीं हैं। जनता की सुविधा के लिए पेयजल परियोजना के निर्माण की अपीलांट के पूर्वजों ने स्वीकृति दी थी। यदि इस प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो जनता को उपलब्ध सुविधाएं खत्म हो जाएंगी इसलिए सुविधा का संतुलन विभाग के पक्ष में हैं। भूमि का सीमांकन कराए बिना अपीलांट अब कोई एतराज नहीं कर सकता है क्योंकि 40 साल से भी अधिक समय से कोई ऐतराज नहीं किया। पूर्वजों द्वारा एक बेचाननामें में दर्शाए गए पड़ोस में इस भूमि को सरकारी बताया गया है व इसी परिसर में कर्मचारियों के आवास के क्वार्टर भी बने हुए हैं। रेस्पो. के द्वारा पुरानी टंकी के पास ही नई टंकी का निर्माण किया जा रहा है अपीलांट की कोई अतिरिक्त भूमि काम में नहीं ली है। अपीलांट को सीमांकन करवा कर मुआवजे की मांग की जा सकती है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र दाधीच ने बहस में कथन किया कि अपीलांट राजनीतिक कारणों से निर्माण में हस्तक्षेप कर रेस्पो. को हरेशमेंट कर रहे हैं। अपीलांट की भूमि का राजस्व नक्शा नहीं हैं जिससे राजस्व नक्शे में अपीलांट टंकी की लोकेशन बताने में असमर्थ रहे हैं। विभाग के आदेश पर कार्य कर दिया है जिसमें 70–80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अपीलांट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं कि यह टंकी तकनीकी मानदण्डों के अनुसार तो इस इलाके में नहीं बन सकती है क्योंकि इस प्रकार के ऐतराज को राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं हैं। अपीलांट विधिवत रूप से यह प्रमाणित करे कि वास्तव में उनकी जमीन है तो उसको मुआवजे की कार्यवाही हो सकती है लेकिन इस स्टेज पर कार्य को रुकवाने से रेस्पो. सं. 6 द्वारा निर्माण कार्य में लगया गई राशि का भुगतान अटक जाएगा जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु रेस्पो. सं. 6 के पक्ष में हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया। रेस्पो. सं. 6 की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र दाधीच ने अपनी बहस के साथ फार्म नं. 3 के साथ वादग्रस्त स्थल पर वर्तमान में निर्माणाधीन पानी की टंकी के तीन फोटोग्राफ्स पेश किए।

अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया है इसलिए यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है अतः प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में हैं। रेस्पो. पुरानी टंकी को तोड़कर नई टंकी का निर्माण कर रहे हैं। जबकि पुरानी टंकी जर्जर अवस्था में थी व पानी भरने के काम नहीं आ रही थी। अपीलांट ने धारा 183 के तहत कब्जा दिलाए जाने का दावा पेश किया है अतः यदि नया निर्माण हो गया तो कब्जा कैसे दिलाया जावेगा। निर्मित टंकी को भी हटाया जाना संभव नहीं होगा अतः वर्तमान में सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में हैं। रेस्पो. ने अपीलांट की खातेदारी की भूमि का उपयोग तो कर लिया है लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुचाने के लिए बड़ी टंकी का निर्माण तकनीकी मानदण्डो की पालना किए बिना पूर्व के स्थान के पास ही बनाया जा रहा है। नियमानुसार घनी बस्ती में अधिक उंचाई की टंकी का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

जबकि रेस्पो. का तर्क है कि अपीलांट ने टंकी निर्माण के लिए 40 साल पहले जमीन उपलब्ध करवाई थी तब से विभाग इस भूमि का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। जिसके चारों तरफ पी.डब्लू.डी. ने चार दीवारी बनवा रखी है। अपीलांट ने 40 साल से कोई एतराज नहीं किया। वादग्रस्त खसरा नंबरान का नक्शा ट्रेस भी उपलब्ध नहीं हैं, जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वह पूरी जमीन अपीलांट की नहीं हैं। जनता की सुविधा के लिए पेयजल परियोजना के निर्माण की अपीलांट के पूर्वजों ने स्वीकृति दी थी। यदि इस प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो जनता को उपलब्ध सुविधाएं खत्म हो जाएंगी इसलिए सुविधा का संतुलन विभाग के पक्ष में हैं। भूमि का सीमांकन कराए बिना अपीलांट अब कोई एतराज नहीं कर सकता है क्योंकि 40 साल से भी अधिक समय से कोई ऐतराज नहीं किया। पूर्वजों द्वारा एक बेचाननामें में दर्शाए गए पड़ोस में इस भूमि को सरकारी बताया गया है व इसी परिसर में कर्मचारियों के आवास के क्वार्टर भी बने हुए हैं। रेस्पो. के द्वारा पुरानी टंकी के पास ही नई टंकी का निर्माण किया जा रहा है अपीलांट की कोई अतिरिक्त भूमि काम में नहीं ली है।

9 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1004/2015 रामेश्वरसिंह व अन्य बनाम मुख्य अभियंता पीएचईडी व अन्य में तथ्यात्क रिपोर्ट भिजवाने बाबत मौका रिपोर्ट दिनांक 02.05.2018 को तैयार कराई गई थी जो मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2017 पर आधारित है। मोका रिपोर्ट 10.01.2017 व 02.05.2018 इस प्रकार है :–

प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर उपस्थित आए। वक्त मौका जांच खातेदारों एवं पीएचईडी के प्रतिनिधियों से उक्त खसरा नं. 1695 का मोमीट्रेस नक्शा मौका सीमांकन हेतु मांग की गई। वर्तमान में मण्डोर प्रथम का प्रमाणित नक्शा उपलब्ध नहीं हैं तथा पक्षकारों द्वारा प्रमाणित नक्शा उपलब्ध नहीं करवाया गया। प्रमाणित नक्शे के अभाव में खसरा नं. 1695 का मौके पर सीमांकन कार्य नहीं किया जा सका। उपलब्ध अप्रमाणित नक्शा लट्ठा के आधार पर उपरोक्त वाद में विवादित मौका जांच की गई जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम मण्डोर प्रथम के खाता सं. 17 में खसरा नं.1695 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा किस्म चाही प्रथम आनंदी वगैरहा खातेदार संलग्न जमाबंदी के अनुसार दर्ज हैं। मौके पर उपस्थित पीएचईडी के सहायक अभियंता श्री संदीप कच्छावाहा एवं कनिष्ठ अभियंता श्री विमल शर्मा, सहायक कुलदीप ने बताया कि नजरी नक्शे में अंकित बिंदु एबीसीडी की भूमि वर्तमान में पीएचईडी विभाग के कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है। मौके पर इस भूमि के खातेदारों में से श्री रामेश्वरसिंह, श्री साहिबराम, श्री शंकरसिंह, श्री बलवीर उपस्थित आए रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई।

उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पो. सं. 1 से 5 व 6 के द्वारा जिस स्थान पर टंकी का निर्माण किया जा रहा है वह नजरी नक्शे में अंकित एबीसीडी भूमि के अंदर ही निर्माण की जा रही है। तथा यह भूमि पीएचईडी विभाग के कार्य हेतु उपयोग व उपभोग में ली जा रही है। अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने इस मौका रिपोर्ट के आधार पर ही रेस्पो. का प्रथम दृष्टया मामला माना है। इस मौका रिपोर्ट को अपीलांट की उपस्थिति में तैयार किया गया है। बहस के समय उभय पक्ष के अधिवक्ता गण ने भी यह स्वीकार किया कि टंकी का निर्माण मौका रिपोर्ट में अंकित बिंदु एबीसीडी के अंदर ही हो रहा है।

रेस्पो. पक्ष की ओर से इस भूमि को अपीलांट के पूर्वजों द्वारा विभाग को पेयजल परियोजना बनाने के लिए स्वीकृति दी थी तथा अब अपीलांट के वारिसान 40 साल बाद ऐतराज कर रहे हैं तथा वर्तमान में ग्राम मण्डोर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

प्रथम का प्रमाणित नक्शा भी उपलब्ध नहीं हैं जिससे सीमांकन का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। रेस्पो. सं. 6 की ओर से फार्म नं. 3 के साथ टंकी निर्माण के जो फोटो ग्राफ पेश किए हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि भूमि पर टंकी के पिलर्स का निर्माण पूर्ण होकर उपर के भाग में निर्माण कार्य चल रहा है। इस परिस्थिति में वादग्रस्त भूमि पर पीएचईडी विभाग का कब्जा है तथा यह भूमि पेयजल परियोजना हेतु पूर्व में कार्य में आ रही थी तथा वर्तमान में उसी परिसर में पुरानी टंकी को तोड़कर पुरानी टंकी के पास नई टंकी का निर्माण किया जा रहा है अपीलांट की अतिरिक्त भूमि कब्जे में लिया जाना जाहिर नहीं होता है।

अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा उठाए गए बिंदुओं का निस्तारण मूल वाद के विचारण में साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर ही संभव है। इस स्टेज पर भूमि का कब्जा पीएचईडी विभाग के पास होने से एवं उसी भूमि के परिसर में टंकी का निर्माण होने से, टंकी के पिलर्स का कार्य पूर्ण होने से अपीलांट की अतिरिक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना पाया जाने से तथा यह पेयजल योजना जनहित के लिए होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में नहीं माना है जो उचित प्रतीत होता है। अतः यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018 यथावत रखा जाता है।

26/6/18

(दीताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/6/18

(दीताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर